न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज जनकसिंह बनाम रामजीलाल मु.नं. 15/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	05.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश प्रा.पत्र T.I. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	19.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2024	06.03.2024	19.08.2025

बउनवान

1. जनक सिंह पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. प्रेमसिंह पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. भँवर सिंह पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. रामचरण सिंह पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल मीना पुत्र कजोड़्या, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. प्रवीण मीना पुत्र रामजीलाल, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. विजय मीना पुत्र रामजीलाल, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. राजन्ती मीना पत्नी रामजीलाल, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. मंजू मीना पत्नी प्रवीण, निवासी पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री जी. बी. शर्मा, श्री बी. एल. शर्मा, श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 530 रकबा 0.30 हैक्टे., 531 रकबा 0.59 हैक्टे., कुल किता 02, कुल रकबा 0.89 हैक्टे. ग्राम पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जो विरासत में प्रार्थी 1 लगायत 4 के पिता से खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार को कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण ही हमेशा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के पास में ही अप्रार्थीगण नम्बर 1 रामजीलाल की खातेदारी के खेत है, रामजीलाल और प्रार्थीगण की भूमि के मध्य में डोल–मेड बनी हुई है लेकिन प्रतिवादी हमेशा प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतों के डोल–मेड को काट कर अपने खेतों में मिलाता रहा है। प्रार्थीगण ने बहुत बार समझाया कि आप हमारे खेतों की डोल–मेड को क्यों काट रहे हो। सरकार ने चकबन्दी के समय जो डोल–मेड बनाई है, उसे मत विगाड़ो एवं यदि तुमको कोई परेशानी है तो अपने खेतों का सीमाज्ञान करा लो लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन झगड़ा–फसाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण को अपने खातेदारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

एवं कब्जे–काश्त की भूमि में शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण हमेशा फौजदारी झगड़ा करने पर आमादा रहते है एवं प्रार्थीगण मना करते है तो प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 3 एस. सी. एस. टी. एक्ट का झूठा केस लगाकर प्रार्थीगण को जेल भेजने की धमकी देते हैं। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त हैं। दिनांक 15.02.2024 को वादी अपने खेतों में बोई सरसों की फसल की देखभाल कर रहा था कि अप्रार्थीगण वहॉ पर अपने साथ में गुण्डे बदमाश व्यक्तियों को लेकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आये एवं ट्रैक्टर से वादी के खेतों की डोल–मेड को जोतने लगे। प्रार्थीगण ने मना किया तो अप्रार्थीगण एकदम से उग्र होकर फौजदारी झगड़ा करने पर उतारू हो गये एवं प्रार्थीगण को गाली देने लगे एवं अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी देकर कहा कि हम तुम्हारे खेतों में जबरन जोत निकालेंगे एवं खेतों पर कब्जा करेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे एवं धारा 3 एस.सी. एस. टी. एक्ट का झूठा मुकदमा लगा कर पूरे परिवार को जेल में भेज देंगे एवं इस पूरी जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे। उसी समय अप्रार्थीगण लाठी फरसा लेकर प्रार्थीगण को मारने को दौड़े तो उस समय वहॉ मौजूद व्यक्तियों ने प्रार्थीगण को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अप्रार्थीगण जाते–जाते प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी देकर गये है कि आज तो तुमको बचा लिया है एवं तुम्हारी इस जमीन पर तो हम कब्जा करके रहेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त षडयंत्र में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश करना लाजिमी आया है। विनाय प्रार्थना पत्र एवं विनाय मुखास्मत दिनांक 15.02.2024 को प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा शुदा भूमि में आकर जान से मारने की धमकी देने व उक्त प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम वाके ग्राम पून्दरपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में उत्पन्न हुई है जिससे प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में अन्दर मियाद पेश कर दिया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला पूरी तरह से साबित है एवं प्रार्थीगण को स्वयं की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त प्रकरण में यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द करे कि वो विवादित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजाहमत, मदाखलत नही करे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोके एवं प्रार्थीगण की उक्त भूमि के खेतों की डोल मेड को जोत कर नष्ट नही करे एवं विवादित भूमि की मोके की वर्तमान की स्थिति यथावत बनाये रखे ।

2. अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया जाकर दिनांक 06.03.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम पून्दरपाडा, पटवार हल्का पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 530, 531 के मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुये। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात में से खातेदारी भूमि व कब्जे–काश्त से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुँचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पून्दरपाडा, पटवार हल्का पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 530, 531 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.03.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करें, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोके। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 19.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)